

पत्र सं०- 09/उपा0बीज0अनु0-124/2017

2143

/कृ० पटना, दिनांक 11-4-2018

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स श्री स्वास्तिक सीड्स इन्डस्ट्रीज (उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड)
द्वारा-भारतीय उर्वरक केन्द्र,
नियर दिग्धी तालाब, गया।

विषय :

बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।


महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए, कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....30/2018.....संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि.....10/04/2021.....तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :-बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,


(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।


ज्ञापांक :-

2143


/कृ०, पटना, दिनांक 11-4-2018

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) रेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-गैल करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

FORM 'B'
(See Clause 5)



LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

License No. 50/2018 Date 11.04.2018


Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the license Sri मेसर्स श्री स्वास्तिक सीडस इन्डस्ट्रीज (उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड) is hereby granted license to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at द्वारा भारतीय उर्वरक केन्द्र नियर दिग्घी तालाब, गया the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स श्री स्वास्तिक सीडस इन्डस्ट्रीज (उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड) द्वारा भारतीय उर्वरक केन्द्र नियर दिग्घी तालाब, गया, वार्ड संख्या-23	मेसर्स श्री स्वास्तिक सीडस इन्डस्ट्रीज (उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड) द्वारा भारतीय उर्वरक केन्द्र नियर दिग्घी तालाब, गया, वार्ड संख्या-37, होल्डिंग संख्या-03
पूरब - टी0 मॉडल स्कूल	पूरब - रोड
पश्चिम- दुर्गा बारी रोड	पश्चिम- दिग्घी तालाब
दक्षिण- मदरसा	दक्षिण- मोटर साइकिल शॉप
उत्तर- काश्मी हाई स्कूल	उत्तर- श्री गणेश कृषि केन्द्र

Date: 11.04.2018

Seal: 09/3410 गौ. अ. - 124/2017 - 2143


10.4.18
Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna,

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This license comes into force with immediate effect and shall be valid up to 10.04.2021 Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The license shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

मेसर्स श्री स्वास्तिक सीड्स इन्डस्ट्रीज (उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड) द्वारा
बिहार राज्य में निम्न फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: 2143

दिनांक: 11-4-18

LIST OF CROP & VARIETIES

क्र० सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	PADDY	MTU-1010, IR-36, MTU-1001, IR-64, MTU-7029, SARJU-52, PANT-10, PANT-12, LALAT, RAJENDRA MANSURI
2	WHEAT	PBW-154, PBW-343, SONALIKA, UP-262, LOK-1, WH-711, KUNDAN, HUW-234, PBW-550, PBW-226
3	MUSTARD	PUSA BOLD, T-59
4	GRAM	PUSA-256, PUSA-362, AWRODHI, VISHAL, JG-74

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक-2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Handwritten signature
10.4.18

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Handwritten notes
पंजीत 20